10800/ ,2-

VENDOR NAME : ...WAB PRASAD
ACC CODE : ...904
ADDRESS : ... GORAKHPUR
MOBILE ...
LICENSE NO ...
DISTRICT ... GORAKHPUR
SIGNATURE ... PRASAD

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP13818448908351S
Certificate Issued Date	:	25-Nov-2020 02:14 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14108904/ GORAKHPUR/ UP-GRK
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14108904212932008178735
Purchased by	:	LIMELITE TRADECOM PRIVATE LIMITED
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	LAND SITUATED AT LACCHIPUR GORAKHPUR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	DASHRATH PRAJAPATI AND OTHER
Second Party	:	LIMELITE TRADECOM PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Paid By	:	LIMELITE TRADECOM PRIVATE LIMITED
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	33,62,500 (Thirty Three Lakh Sixty Two Thousand Five Hundred only)

Please write or type below this line

Harikesh Tripti Singh

Verified By.......

Locked By.......

Verified By.......

Locked By.......

0011586892

VOID VOID VOID

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

9838555867

9415852577

9935703750

8299276226

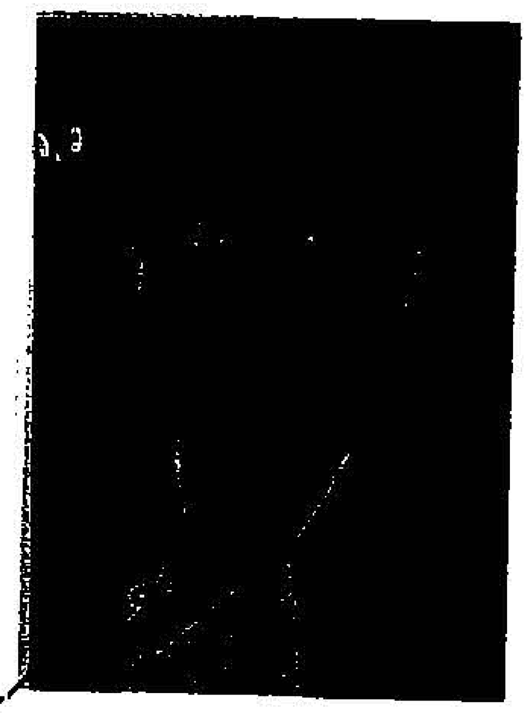

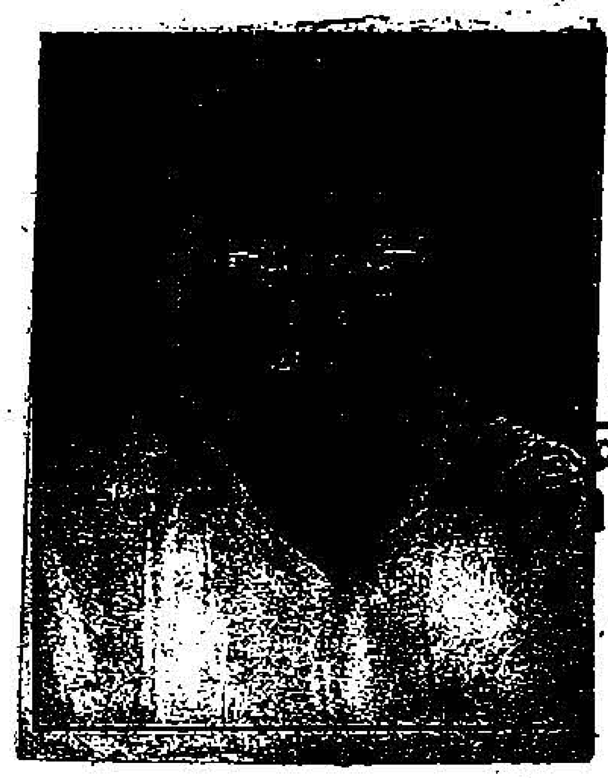
9795586838

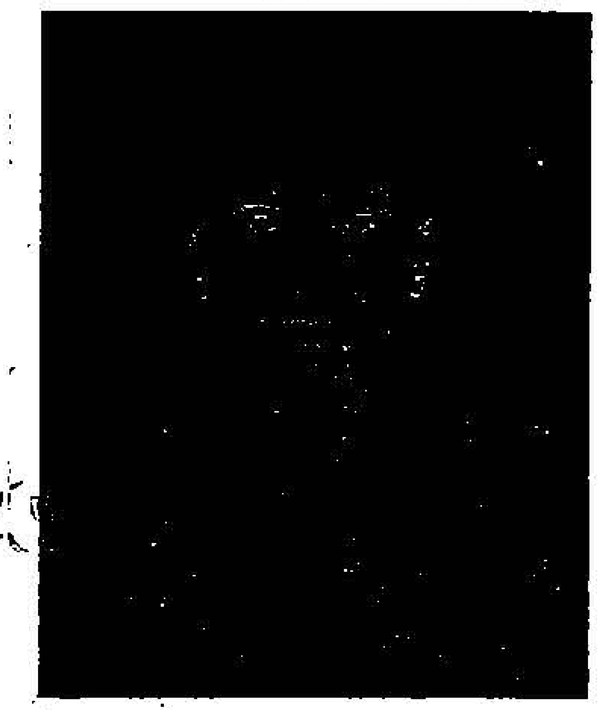
9956443877

<u>बिल्डर्स एग्रीमेन्ट</u>

मुहल्ला– लच्छीपुर
रकबा– 13774.145 वर्ग फीट यानी 1280.125 वर्गमीटर
मूल्यांकन सूची का विवरण–
प्रारुप– 3
क्रम संख्या – 25
वी कोड– 0018
मधुर मिलन मैरेज हाल से चन्द्र पेट्रोल पम्प होते हुये बरगदवॉ चौराहा तक जाने वाली सड़क
दर रुपया 38000/– प्रति वर्गमीटर + 10 प्रतिशत
प्रस्तर 28(1) के अनुसार 500 वर्गमीटर तक के रकबे हेतु प्रभावी दर रुपया 41800/– प्रति वर्गमीटर

Tripti Singh

प्रस्तर 28(2) के अनुसार 500 वर्गमीटर से अधिक व 1000 वर्गमीटर हेतु (15 प्रतिशत छूट) प्रभावी दर रुपया 35530/– प्रति वर्गमीटर
प्रस्तर 28(3) के अनुसार 1000 वर्गमीटर से अधिक अवशेष क्षेत्रफल हेतु (20 प्रतिशत छूट) प्रभावी दर रुपया 33440/– प्रति वर्गमीटर

मूल्यांकन–
500 वर्गमीटर X रुपया 41800/– = रुपया 2,09,00,000/–
500 वर्गमीटर X रुपया 35530/– = रुपया 1,77,65,000/–
अवशेष 280.125 वर्ग मीटर X रुपया 33440/– = रुपया 93,68,000/–
कुल मूल्यांकन– रुपया 4,80,33,000/–
स्टैम्प रुपया 33,62,500/–

हम कि **दशरथ प्रजापति** पुत्र स्व0 गुलाब प्रजापति व **धर्मदेव चौहान** पुत्र श्री मुनीब चौहान व **हरिकेश चौधरी** पुत्र स्व0 रामबेकारु चौधरी निवासीगण मुहल्ला बरगदवॉ, पोस्ट मोहरीपुर, तहसील सदर, शहर व जिला गोरखपुर व **श्रीमती तृप्ति सिंह** पत्नी स्व0 मानवेन्द्र सिंह निवासिनी बजरंगनगर, नथमलपुर, गोरखनाथ, तहसील सदर, शहर व जिला गोरखके हैं जिन्हे कि इस बिल्डर्स एग्रीमेन्ट में आगे संयुक्त रुप से प्रथम पक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ जब तक की उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो भू–स्वामी स्वयं व उनके उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनधियों एवं समनुदेशितों से लिया जावे। .... प्रथम पक्ष

एवम्

लाइमलाइट ट्रेडकाम प्राइवेट लिमिटेड प्रथम तल, गैलेन्ट लैण्डमार्क, बैंक रोड, गोरखपुर द्वारा निदेशक शोभितमोहन दास पुत्र स्व0 प्रेममोहन दास निवासी मुहल्ला पुर्दिलपुर, शहर व जिला गोरखपुर के हैं, जिन्हे कि इस बिल्डर्स एग्रीमेन्ट में आगे बिल्डर्स/द्वितीय पक्ष कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ जब तक कि उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो बिल्डर स्वंय, उनके उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जावे। .... द्वितीय पक्ष

ज्ञात हो कि मौजा– लच्छीपुर, तप्पा– कस्बा, परगना– हवेली, तहसील– सदर, जिला– गोरखपुर के गाटा संख्या– 679 रकबा– 23000 वर्ग फीट को उसके स्वामी मे0 सुयश केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर प्रा0 लि0 ने कार्यालय उपनिबन्धक प्रथम गोरखपुर में दिनांक 09/09/2015 को बही संख्या 1, जिल्द संख्या 11575, पृष्ठ संख्या 61 से 122 क्रमांक 7661 पर रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से

Harikesh Tripti Singh

दशरथ प्रजापति पुत्र स्व0 गुलाब प्रजापति व धर्मदेव चौहान पुत्र श्री मुनीब चौहान व हरिकेश चौधरी पुत्र स्व0 रामबेकारु चौधरी व मानवेन्द्र सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह के पक्ष में हस्तान्तरित किया और जिसमें सभी ने मिलकर खरीदे हुये उक्त प्लाट के उत्तर दिशा में रास्ता कायम किया और इस प्रकार रास्ते कायम होने के उपरान्त उपरोक्त दशरथ प्रजापति पुत्र स्व0 गुलाब प्रजापति व धर्मदेव चौहान पुत्र श्री मुनीब चौहान व हरिकेश चौधरी पुत्र स्व0 रामबेकारु चौधरी व मानवेन्द्र सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह रकबा 19833.69 वर्ग फीट यानी 1843.28 वर्ग मीटर (अपने द्वारा कायम रास्ता के परिणामस्वरुप) का बतौर मालिक उपयोग उपभोग करते रहे। कालान्तर में मानवेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गयी और उनके मृत्योपरान्त प्रश्नगत आराजी में उनके हक व हिस्से को उनके वारिसान उनकी पत्नी श्रीमती तृप्ति सिंह व पुत्री कुमारी हर्षिता सिंह अवयस्क ने हासिल किया। उक्त के अनुक्रम में हम पक्षकार प्रथम पक्ष ने अपने हक व हिस्से 7/8 भाग यानी रकबा 17354.478 वर्ग फीट यानी 1612.867 वर्ग मीटर के संयुक्त रुप से मालिक काबिज हुये और कुमारी हर्षिता अवयस्क अपने हक व हिस्से 1/8 भाग यानी 2479.21 वर्ग फीट यानी 230.4 वर्ग मीटर की मालिक काबिज है। उपरोक्त के अनुक्रम में हम पक्षकार प्रथम पक्ष अपने हक व हिस्से की उक्त भूमि के स्वामी व आधिपत्यभोगी चले आ रहे है, जिसमें से रोड बाइन्डिंग हेतु निर्धारित भूमि को पृथक करने के पश्चात हम मुकिरान प्रथम पक्ष, भवन निर्माण के लिये उपलब्ध रकबा 13774.145 वर्ग फीट यानी 1280.125 वर्ग मीटर, पर भवन निर्माण करने के लिये विधिक रुप से सक्षम है, जो प्रत्येक प्रकार के स्वामित्व दोष, हस्तान्तरण दोष व प्रत्येक प्रकार के भारों व विवादों से पूर्णतया मुक्त है और हम पक्षकार विक्रेता को अपने स्वामित्व व कब्जे की उपरांकित भूमि, जिसका चौहद्दी सहित पूरा विवरण इस विलेख के अन्त में उल्लिखित है और जिसे आगे इस विलेख में भूमि हस्ब तफसील व चौहद्दी जैल भी सम्बोधित किया गया है, को प्रत्येक प्रकार से हस्तान्तरित करने व उसके सम्बंध में प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है।

ज्ञात हो कि भूस्वामी प्रथम पक्ष अपने स्वामित्व व कब्जा की भूमि हस्ब तफसील व चौहद्दी जैल पर व्यवसायिक व आवासीय बहुमंजिली भवन का निर्माण कराना चाहते है ताकि भूस्वामी प्रथम पक्ष को अपने इस स्वामित्व व कब्जे की भूमि से वांछित लाभ प्राप्त हो सके जो कि उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। परन्तु ऐसे बहुमंजिली भवन के निर्माण कराने का अनुभव एवं निर्माण कराने में लगने वाले धन के अभाव में भूस्वामी प्रथम पक्ष अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे व्यक्ति या फर्म अथवा कम्पनी के तलाश में रहे जो कि उचित शर्तों पर अपने स्वयं

Harikesh Trupti Singh

का धन लगाकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा स्वीकृत तथा अनुमन्य व्यवसायिक व आवासीय बहुमंजिली भवन का निर्माण करा सके।

ज्ञात हो कि भूस्वामी प्रथम पक्ष को यह पता चलने पर कि द्वितीय पक्ष इस प्रकार के व्यवसायिक व आवासीय भवनों के निर्माण कार्य बिल्डर एग्रीमेन्ट के माध्यम से तय शुदा शर्तो पर अपने स्वंय के धन लगाकर करने का कारोबार करते है तो भूस्वामी प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके, द्वितीय पक्ष से अपनी इच्छा बताकर द्वितीय पक्ष से शर्तों को आमंत्रित किया, द्वितीय पक्ष ने भूस्वामी प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तावित अनुमन्य व्यवसायिक एवं आवासीय बहुमंजिली भवन का निर्माण अपने स्वंय के धन से कराने को सहमत तथा तैयार हुये और आपस में यह तय पाया गया कि निर्माण में लगाये गये धन के प्रतिफल में, गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरुप निर्मित भवन में, ब्यावसायिक निर्माण के 50 प्रतिशत भाग व आवासीय निर्माण के 60 प्रतिशत भाग को द्वितीय पक्ष प्राप्त करेंगे तथा शेष भाग के प्रथम पक्ष स्वामी रहेंगे।

ज्ञात हो कि भूस्वामी प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया और प्रस्ताव को प्रत्येक प्रकार से उचित व लाभकारी होना पाते हुए स्वीकार कर लिये व भूस्वामी प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष के बीच आपसी सहमति से निम्नलिखित शर्ते तय हुई जिनकों दोनों पक्षकारों ने कबूल व मंजूर किया है और पाबंद रहने का एक दूसरे को वचन दिया है।

1. यह कि विषयांकित भूमि पर वाणिज्यिक तथा आवासीय बहुमंजिली भवन निर्माण करवाने के लिए एग्रीमेन्ट (बिल्डर्स एग्रीमेन्ट) पक्षकारों द्वारा आज दिनांक 25/11/2020 को निष्पादित किया जा रहा है।
2. यह कि भूस्वामी प्रथम पक्ष इस विलेख के द्वारा द्वितीय पक्ष को यह अधिकार देते है कि द्वितीय पक्ष को वाणिज्यिक तथा आवासीय भवन निर्माण हेतु जिस भी विभाग/कार्यालय से अनुमति या अनापति प्राप्त करने की जरुरत हो, उसे स्वयं अपने हस्ताक्षर से प्राप्त करें, साथ ही साथ द्वितीय पक्ष को यह अधिकार दिया जाता है कि इस विलेख के अनुसार जो भी हिस्सा द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो रहा है, उसे स्वयं बेचे या विलेख आदि स्वयं निष्पादित करें।
3. यह कि भूस्वामी प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को भूमि हस्ब तफसील व चौहद्दी जैल पर भवन निर्माण हेतु कब्जा हस्तगत कर दिया है।
4. यह कि द्वितीय पक्ष भूमि हस्ब तफसील व चौहद्दी जैल पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर से स्वीकृत तथा अनुमन्य बेसमेंट पार्किंग, लोअर ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर व सेकेण्ड फ्लोर पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा स्वीकृत तथा अनुमन्य मानचित्र के अनुरुप व्यवसायिक

दुकानों व आवासीय भाग का निर्माण अपने स्वंय के खर्चे से करवायेंगे तथा इससे सम्बंधित जो भी अनुमति वो अनापत्ति जिस भी विभाग, अभिकरण से हासिल करना आवश्यक होगा वो भी अपने स्वयं के धन से प्राप्त करेंगें। प्रथम पक्ष के द्वारा धन के सहयोग को छोड़कर जो भी अन्य सहयोग व लिखित सहमति इत्यादि की आवश्यकता होगी वो बिना किसी भी विलम्ब के प्रदान करेंगे।

5. यह कि द्वितीय पक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर से मानचित्र स्वीकृति एवं अन्य वांछित अनुमति व अनापत्ति प्राप्त करने की तिथि से अंदर 3 वर्षों में व्यवसायिक व आवासीय बहुमंजिली भवन का निर्माण अपने स्वंय के धन से पूरा करा देवेंगे अलबत्ता कि किन्हीं दैविक आपदा अथवा किन्ही कारण अथवा किन्ही ऐसे कारण जो द्वितीय पक्ष के वश के बाहर का हो निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाने के कारण निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पावेगा तो भूस्वामी प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष आपसी लिखित सहमति से माकूल समय सीमा में वृद्धि कर देवेंगे।

6. यह कि निर्माण कार्य के दौरान भूस्वामी प्रथम पक्ष को निर्माण कार्य को स्वंय अथवा अपने इन्जीनियर के जरिए देखते रहने व उसकी गुणवत्ता का परीक्षण करने व कराते रहने व आवश्यक सुझाव द्वितीय पक्ष को देने का अधिकार प्राप्त रहेगा परन्तु प्रथम पक्ष को निर्माण को रूकवाने का कोई अधिकार प्राप्ता नहीं रहेगा।

7. यह कि यदि निर्माण के दौरान अथवा निर्माण सम्बन्धित कभी भी कोई दुर्घटना घटित होगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। निर्माण सम्बन्धित हर प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

8. यह कि प्रस्तावित बहुमंजिली भवन के कामन उपयोग वाले स्थान जैसे कामन पैसेज, सेट बैक, सीढी इत्यादि का प्रयोग संयुक्त रूप से प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष एवं उनके अंतरियों व किरायेदारों द्वारा समान रूप से प्रयोग किया जावेगा और किसी के भी द्वारा कामन उपयोग के स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण या संयुक्त रूप से उपयोग में कोई व्यवधान किसी भी तरीके का उत्पन्न नहीं किया जायेगा।

9. यह कि प्रस्तावित बहुमंजिली भवन की निर्माण के सम्बन्ध में कामन एरिया में बिजली की वायरिंग,फलोरिंग, रेलिग व कलरिंग व सुयुक्त प्रयोग हेतु पानी की टंकी व ट्रांसफार्मर की उचित व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा कराया जायेगा।

Tripati Singh

10. यह कि अपने–अपने हिस्से के सम्बन्ध में आयकर, जी0 एस0 टी0, गृहकर, जलकर व सीवरकर जमा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष की होगी।

11. यह कि बेसमेन्ट पार्किंग का उपयोग भूस्वामी प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष द्वारा तथा उनके अन्तरतियों एवं बसाये गये किरायेदारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में नियुक्त किये गये व्यक्ति अथवा एजेन्सी या सोसायटी द्वारा जो भी पार्किंग शुल्क समय समय पर निर्धारित किया जायेगा तथा कामन उपयोग के स्थान के रख रखाव हेतु जो शुल्क समय समय पर निर्धारित किया जायेगा के अदायगी की जिम्मेदारी सभी अध्यासियों की अपने अपने अध्यासन के क्षेत्रफल के अनुसार माह दर माह कायम रहेंगी।

12. यह कि बहुमंजिली व्यवसायिक व आवासीय भवन में आपसी सहमति से तय हिस्से के अनुसार भूस्वामी प्रथम पक्ष सम्पूर्ण ब्यावसायिक निर्माण के 50 प्रतिशत व आवासीय निर्माण के 40 प्रतिशत भाग के मालिक होंगे तथा शेष 50 प्रतिशत ब्यावसायिक निर्माण व 60 प्रतिशत आवासीय निर्माण के मालिक काबिज द्वितीय पक्ष, अपने द्वारा निर्माण में लगाये धन के प्रतिफल में, हो जावेंगे और द्वितीय पक्ष को अपने उक्त हिस्से को बतौर पूर्णतः मालिक के, प्रत्येक रूप से अन्तरित करने व किरायेदारी पर देने एवं स्वयं अध्यासित रहने का पूर्णतः अधिकार प्राप्त रहेगा तथा उसके स्वामित्व वो कब्जा से किसी भी प्रकार का कोई वास्ता व सरोकार प्रथम पक्ष का नहीं रहेगा।

13. यह कि प्रथम पक्ष की श्रीमती तृप्ति सिंह को द्वितीय पक्ष द्वारा रुपया 3800000/– (अड़तीस लाख) अदा किया जाना तय पाया गया, जिसे श्रीमती तृप्ति सिंह ने चेक नम्बर 072005, 072006, 072007 व 072008 के माध्यम से प्राप्त किये, उक्त प्रत्येक चेक, रुपया 9,50,000/– (नौ लाख पचास हजार) के मूल्य का है, इस प्रकार श्रीमती तृप्ति सिंह, इस विलेख के माध्यम से रुपया 3800000/– (अड़तीस लाख) द्वितीय पक्ष से प्राप्त करना स्वीकार करती है।

14. यह कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर से मानचित्र स्वीकृत हो जाने के पश्चात, आवश्यकतानुसार दोनो पक्ष अपने अपने हिस्सों को अलग अलग रंग से दर्शाते हुये अन्तिम रुप से नक्शा नजरी तैयार करेंगे और ऐसे नक्शा नजरी को संलग्न करते हुये पूरक विलेख तहरीर करके निबन्धित करवायेंगे।

15. यह कि बिल्डर एग्रीमेन्ट के निष्पादन व पंजीकृत कराने में जो भी खर्च आवेगा उसे द्वितीय पक्ष द्वारा ही वहन किया जायेगा।

16. यह कि विदित हो कि निर्मित बहुमंजिली व्यवसायिक काम्प्लेक्स को, किस नाम से पुकार जायेगा, के सन्दर्भ में उभय पक्ष आपसी सहमति से नाम तय कर लेंगे

Tripti Singh

और बिन्दु संख्या 14 के अनुक्रम में निष्पादित पूरक विलेख में ऐसे नाम का उल्लेख कर लेंगे।

17. यह कि भूमि जिस पर निर्माण कराने हेतु यह बिल्डर एग्रीमेन्ट निष्पादित किया जा रहा है का क्षेत्रफल– 1280.125 वर्गमीटर (एक हजार दो सौ अस्सी दशमलव एक दो पांच वर्ग मीटर) है जो पूरी तौर पर खुली भूमि है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। निर्गत मूल्यांकन सूची के अनुसार मालियत रुपया 4,80,33,000/– (चार करोड़ अस्सी लाख तैंतीस हजार) पर द्वितीय पक्ष द्वारा स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

इस प्रकार से पक्षकारों द्वारा यह बिल्डर एग्रीमेन्ट अपनी–अपनी स्वेच्छा व स्वस्थ्य बूद्धि से बिना किसी भी प्रकार के जोर दबाव के निष्पादित कर दिया गया है कि समय पर काम आवे।

तफसील भूमि

मौजा– लच्छीपुर, तप्पा– कस्बा, परगना– हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर के गाटा संख्या– 679 (छः सौ उन्यासी) में स्थित खुली भूमि, क्षेत्रफल– 13774.145 वर्ग फीट (तेरह हजार सात सौ चौहत्तर दशमलव एक चार पॉच वर्ग फीट) यानी 1280.125 वर्गमीटर (एक हजार दो सौ अस्सी दशमलव एक दो पॉच वर्ग मीटर) अपने कुल हक व हिस्से के लिये यह बिल्डर्स एग्रीमेन्ट निष्पादित किया, जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:–

पूरब – रास्त 12 फीट चौड़ा व आराजी संख्या 679 का शेष भाग जिसके स्वामी अन्य लोग है।

पश्चिम – गोरखपुर से सोनौली मार्ग।

उत्तर – प्रथम पक्ष द्वारा कायम किया गया रास्ता जो फ्रन्ट की तरफ 19 फीट चौड़ा है जबकि पीछे की तरफ 12 फीट चौड़ा है।

दक्षिण – आराजी संख्या 679 का शेष भाग जिसके स्वामी अन्य लोग है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष **हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष**

वाजा हो कि कार्यालय उपनिबन्धक में मुकिर शोभितमोहन दास की ओर से निबन्धन सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें उनके तसदीकी मुख्तारेआम (कार्यालय उप निबन्धक सदर द्वितीय गोरखपुर में दिनांक 16.01.2013 को बही संख्या 6, जिल्द संख्या 1, पृष्ठ 57 से 66 क्रमांक 1 द्वारा) विजय कुमार शर्मा द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

विजय कुमार शर्मा का हस्ताक्षर..............................

हस्ताक्षर शोभितमोहन दास ....

Trupti Singh

साक्षीगण–

1– [illegible] गोरखपुर

2– रामदयाल सिंह S/o ओमहरी सिंह ग्राम हरनामपुर पो० करीमनगर जि० गोरखपुर

प्रारुपकर्ता

अच्युतानन्द शुक्ल

एडवोकेट

स्थान– गोरखपुर

दिनांक– 28 / 11 / 2020

आवेदन सं०: 202000950032486

बही स०: 1 | रजिस्ट्रेशन स०: 10800 | वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मंजमून ... नुसार उक्त

क्रेता: 1

श्री लाइमलाइट ट्रेडकाम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ...
शोभित मोहन दास के द्वारा विजय कुमार शर्मा ...
बी०डी० शर्मा

निवासी: धर्मशाला बाजार, गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य

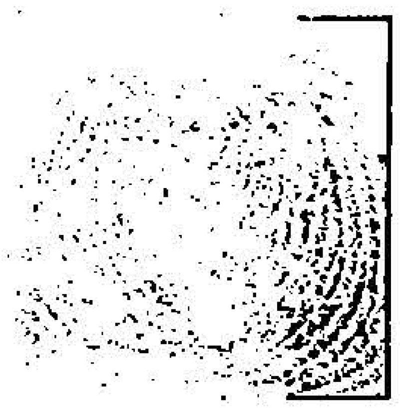

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री ध्रुवनाथ जायसवाल, पुत्र श्री द्वरिकानाथ जा...

निवासी: लल्लूभवन, संतोष भवन, लच्छीपुर, ...

व्यवसाय: सेवानिवृत

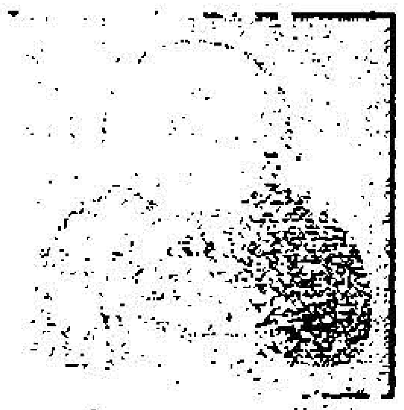

पहचानकर्ता : 2

श्री रामदयाल सिंह, पुत्र श्री ओमहरि सिंह

निवासी: हरनामपुर, रामनगर, करीमनगर, ...

व्यवसाय: अन्य

...अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान ... प्रताप सिंह
लिए गए है । ... : सदर प्रथम
टिप्पणी : ... गोरखपुर

दिनेश शाही
...धक लिपिक

विक्रय अनुबंध विलेख (बिल्डर)

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 3362500 बाजारी मूल्य - 48033000 पंजीकरण शुल्क - 480330 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 480390

श्री दशरथ प्रजापति ,
पुत्र श्री गुलाब प्रजापति
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: बरगदवॉ, पोस्ट– मोहरीपुर, गोरखपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनॉंक 07/12/2020 एवं 03:57:18 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अविनाश पाल प्रभारी
उप निबंधक :सदर प्रथम
गोरखपुर

विक्रेता: 1

श्री दशरथ प्रजापति,
पुत्र श्री गुलाब प्रजापति

निवासी: बरगदवॉ,
पोस्ट– मोहरीपुर,
गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 2

श्री धर्मदेव चौहान, पुत्र
श्री मुनीब चौहान

निवासी: बरगदवॉ,
पोस्ट– मोहरीपुर,
गोरखपुर

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 3

श्री हरिकेश चौधरी, पुत्र
श्री स्व० रामबेकारु
चौधरी

निवासी: बरगदवॉ,
पोस्ट– मोहरीपुर,
गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 4

श्रीमती तृप्ति सिंह,
पत्नी श्री स्व०
मानवेन्द्र सिंह

निवासी: बजरंगनगर,
नथमलपुर,
गोरखनाथ, गोरखपुर

व्यवसाय: गृहिणी

क्रेता: 1

श्री लाइमलाइट
ट्रेडकाम प्राइवेट
लिमिटेड द्वारा
निदेशक शोभित मोहन
दास के द्वारा विजय
कुमार शर्मा, पुत्र श्री
बी०डी० शर्मा

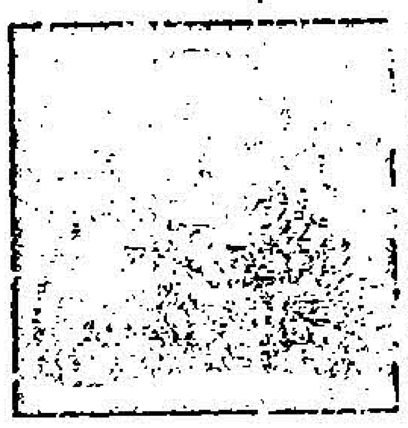
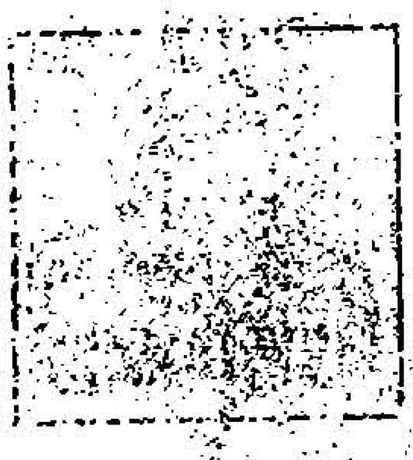

निवासी: धर्मशाला
बाजार, गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री ध्रुवनाथ जायसवाल, पुत्र श्री द्वरिकानाथ जायसवाल
निवासी: लल्लूभवन, संतोष भवन, लच्छीपुर, गोरखपुर
व्यवसाय: सेवानिवृत

पहचानकर्ता : 2

श्री रामदयाल सिंह, पुत्र श्री ओमहरि सिंह
निवासी: हरनामपुर, रामनगर, करीमनगर, गोरखपुर
व्यवसाय: अन्य

रामदपालसिंह

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
अविनाश पाल प्रभारी
उप निबंधक : सदर प्रथम
गोरखपुर

आवेदन सं०: 202000950032486 मिनट बुक संख्या 32 द्वारा निबंधन की कार्यवाही स्थगित की गई।

मिनट बुक संख्या 37 द्वारा निबंधन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

निबंधन से इन्कार का कारण-0

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 16571 के पृष्ठ 53 से 10800 पर दिनाँक 24/12/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अविनाश पाल प्रभारी
उप निबंधक : सदर प्रथम
गोरखपुर

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

योगेन्द्र प्रताप सिंह
उप निबंधक : सदर प्रथम
गोरखपुर
24/12/2020